न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 121/2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112/190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा -- प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 17.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

आपके पत्र कमांक 4501 दिनांक 12.08.2025 द्वारा यह बताया गया है कि ख.न. 1956 व 1957 ग्राम चांदसेन जिला टोंक पर दिनांक 18.03.2015 से उक्त स्थगन का अंकन जमा किया गया है। आपके यहा पत्र प्रेषण रजिस्टर की सत्यापित प्रति दिनांक 01.03.2015 से 31.03.2015 तक जिस पर उक्त आदेश संबंधित पटवारी/अन्य अधिकारी को स्थगन आदेश की प्रति भेजी गई हो।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 2466 दिनांक 23.12.2025, 16 दिनांक 06.01.2026 व 139 दिनांक 27.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

793